

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.19/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 2017

सा0का0नि0 (अ).-केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 1/2017 - एकीकृत कर (दर) 28 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III - 18 % में क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर के टायर के लिए ट्यूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन जिनकी सिलिंडर क्षमता 250 सीसी से अधिक हो
452घ	8413 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्पस
452ङ.	8708 10 10	ट्रैक्टर के बम्पर और उसके कलपुर्जे
452च	8708 30 00	ट्रैक्टर के ब्रेक असेंबली और उसके कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	ट्रैक्टर के गियर बाक्स और उसके कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के ट्रांसएक्सल और उसके कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	ट्रैक्टर के रोड व्हील्स और उसके कलपुर्जे और श्रृंखला
452ञ	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर के रेडिएटर असेंबली और उसके कलपुर्जे

		(ii) ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम और उसके कलपुर्जे
452ट	8708 92 00	ट्रैक्टर के साइलेंसर असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	ट्रैक्टर के क्लच असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील्स और उसके कलपुर्जे
452ढ	8708 99 00	ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक और उसके कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	ट्रैक्टर के फेंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उनके कलपुर्जे ”

[फा.सं. 354/137/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 666(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 809(अ), तारीख 30 जून, 2017 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 16/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा किया गया था।